न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही
2. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री नारायण जाति–माली निवासी– वाटेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 277 / 2020

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:
1.श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही(प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 01 दिसम्बर, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 12033 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:कोर्ट / 2020 / 742–43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन बहस हेतु नियत तिथि को अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 16.11.2021 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या 7 पारित कर अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड [illegible] अप्रार्थी संख्या– 2 के पक्ष में जो पट्टा दिनांक 08.6.2017 को जा[illegible] है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम [illegible] किया गया है जो कानूनन गलत है। रा[illegible] के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या–2 रियायती दर पर भूखण्ड [illegible] करने का पात्र व्यक्ति न[illegible] न [illegible]दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:01 IST
Reason: SelfAttested

ही राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या–2 का आवासीय मकान ग्राम वाटेरा में पुरानी आबादी भूमि में बना हुआ है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झौपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररुप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछडे वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों या जिनके आवास बाढ के कारण बह गये है व भविष्य में रहने योग्य नही रहे है को रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ. 4()पीसी/परावि/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गो को रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नही है और वे इस नियम में भूखण्ड पाने के पात्र है। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)परावि/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नही हो। अप्रार्थी संख्या–2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड़ है या नही, की जांच किये बिना ही ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत प्लान तैयार किये बिना ही पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से आबादी विस्तार हेतु आवंटित आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी नही करवाया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अप्रार्थी संख्या–2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर भूखण्ड़ आवंटन करने का निर्णय लेते हुए उक्त नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया है, जो गलत है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड़वाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा के संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को एवं इसके अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा में आबादी विस्तार हेतु खसरा संख्या 382, 697 व 1148 रकबा क्रमशः 12. 01 बीघा, 1.13 बीघा, 0.07 बीघा में से 5 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा द्वारा दिनांक 11.8.2016 को आवंटित की गई थी एवं आवंटन की शर्त अनुसार उक्त आबादी भूमि के भूखण्ड़ों का नक्शा तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन करवाकर राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत भूखण्ड़ पाने की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों के पात्रता की जांच करवाकर नियमानुसार भूखण्ड़ आवंटित कर पट्टे जारी किये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही बरती है। अप्रार्थी संख्या–2 भी [illegible] 19096 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड़ पाने का प[illegible]था, जिसके पात्रता की जांच कर नियमानुसार भूखण्ड़ आवं[illegible]स्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 15[illegible]यों को 300 वर्गगज

.......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:01 IST
Reason: SelfAttested

तक की भूमि निःशुल्क/रियायती दर आवंटित किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या–2 भी उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी का गरीब व भूमिहीन व्यक्ति है जिसके पास प्रश्नगत पट्टे के अलावा अन्य कोई आवासीय भूमि/मकान नही है। अप्रार्थी संख्या–2 पशुपालन कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 को क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट अर्थात् 150 वर्गगज से कम आबादी भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा आबादी में आवंटित उक्त आवासीय भूखण्डो का कुछ व्यक्तियों को कब्जा नही दिये जाने के संबंध में एक शिकायत हुई, जिसकी जांच अधिकारी द्वारा कुल 24 व्यक्तियों के सामूहिक बयान लिये जाकर पट्टों को गलत जारी होना बताया है। जांच रिपोर्ट में जन प्रतिनिधि वार्ड पंचों के रिश्तेदारों को पट्टे देना बताया है जिसमें वार्ड पंच से रिश्ता वार्ड पंच के बेटे के साले की पत्नी, वार्ड पंच के काका की पत्नी आदि रिश्ता बताया गया है। वार्ड पंच के रिश्तेदार होने से किसी व्यक्ति की पट्टा प्राप्त करने की पात्रता पर कोई फर्क नही पडता है। उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टे देने थे, लेकिन उन्हें नियम 158 में पट्टे जारी करना बताया है। पुश्तैनी/पुराने आवासीय मकान का पट्टा नियम 157 में दिये जाने का प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति को जो उक्त नियम 157 के तहत पट्टे देने थे और नियम 158 के तहत पट्टा जारी कर दिया है तो इससे प्रश्नगत पट्टे की भूमि के स्वामित्व व मालिकाना हक पर कोई फर्क नही पड़ता है। जांच कमेटी ने गलत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर यह गलत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या–2 का पुराना कब्जा था एवं पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी संख्या–2 प्रश्नगत भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्र है। अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि यदि फिर भी ग्राम पंचायत स्तर पर पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता या त्रृटि हुई है तो उसे किसी भी समय सुधारा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कृत्य के लिये अप्रार्थी संख्या–2 को दोषी नही ठहराया जा सकता है, क्योकि नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का था जिस पर अप्रार्थी संख्या–2 का कोई नियंत्रण नही था। कानून की स्थिति यह है कि 100 दोषी व्यक्ति छुट जाये, लेकिन एक निर्दोष को सजा नही होनी चाहिये। अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्ति किया कि प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले निगरानी आवेदन के प्रारुप में नही होकर विभागीय पत्र के रुप में प्रस्तुत किया है। निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के संबंध में निगरानी आवेदन में प्रार्थी ने स्वयं का सत्यापन प्रमाण अंकित नही किया है तथा न ही निगरानी आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन करने के संबंध में जो प्रस्ताव पारित किया है उसको प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने कभी भी चुनौती नही दी है एवं इस प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते उक्त निगरानी आवेदन कानून परिपोषणीय नही है। अप्रार्थी संख्या–2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2021(1)DNJ(Raj.) Page 186-188 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख का उप पंजीयक कार्यालय, भावरी से, पंजीयन भी करवाया है, इस प्रकार पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही होकर सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह

......पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:01 IST
Reason: SelfAttested

पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या 7 पारित कर अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारुप 23 ख में पट्टा विलेख संख्या 12033 दिनांक 08.6.2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 3000 वर्गगज तक कि आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को पारित किया गया था, जबकि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारुप 23 ख में पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनन गलत है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, पिण्ड़वाडा के आदेश क्रमांकःराजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचाययत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस्म क्रमशः गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या–3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या–4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्ड़ों का नक्शा प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अर्न्तगत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड़ पाने की पात्रता रखते है, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड़ आवंटन किये जा सकेगें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नही किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी संख्या–2 को कौन से खसरा संख्या नंबर में किस भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया है, जो उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या–6 का उल्लंघन है। उपखण्ड़ अधिकारी, [illegible] के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या–4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत [illegible] पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्ति[illegible] नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की [illegible]टवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमा[illegible]र पट्टे जारी किये जा सकेंगे,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:01 IST
Reason: SelfAttested

.........पेज पांच पर

लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या–4 की भी पालना नही की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या–2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नही रखती है। इससे, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या–2 के रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता की जांच किये बिना ही अप्रार्थी संख्या–2 को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का पंचायत बैठक में निर्णय लेते हुए पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि सम्मत नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों के पुराने आवास बने हुये है, जिन्हें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने थे, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत विक्रय विलेख जारी कर नियमों की अवहेलना की गई है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 12033 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त **निरस्त** किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर. खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:03:01 IST
Reason: SelfAttested